संख्या-172/2021/693/23-14-2021-02त्व0आ0वि0यो0/2019

प्रेषक,

अभय कुमार,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

लोक निर्माण अनुभाग-14 लखनऊः दिनांक- 23 जून, 2021

विषय-वित्तीय वर्ष 2021-22 में मिसिंग लिंक एवं त्वरित आर्थिक विकास योजना में अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत कुल 03 कार्यों हेतु अवशेष धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक-1062बी0जी0/7बी0 ग्रामीण मार्ग/2021-22, दिनांक 07.06.2021 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **संलग्न सूची में उल्लिखित विवरण के अनुसार** मिसिंग लिंक एवं त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत कुल 03 चालू कार्यो हेतु उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या-10 में अंकित धनराशि के अनुसार अगली किस्त के रूप में कुल धनराशि रू0 35.34 लाख (रूपये पैतीस लाख चौतीस हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत चालू कार्यो हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थाई आदेशों आदि का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

(2) उपर्युक्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेश की शेष शर्ते एवं प्रतिबंध यथावत लागू रहेगी।

(3) परियोजना पूर्ण होने के उपरान्त यदि कोई धनराशि अवशेष रह जाती है तो अवशेष बच रही धनराशि को ट्रेजरी चालान के माध्यम से कोषागार में सुसंगत लेखा शीर्षक के अन्तर्गत जमा कराकर ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति शासन को उपलब्ध करायी जाय।

(4) प्रमुख अभियन्ता (विकास/विभागाध्यक्ष), लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि मिसिंग लिंक, नक्सल एवं त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत उक्तानुसार उल्लिखित 03 कार्यों हेतु किसी भी स्थिति में उनकी आवंटित लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न की जाय।

(5) आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र बजट मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार अनिवार्य रूप से नियत समय पर महालेखाकार, उ0प्र0 व उ0प्र0 शासन को प्रेषित किया जाय तथा प्रश्नगत 03 चालू कार्यो के अवशेष कार्य को पूर्ण कराकर पूर्णता प्रमाण-पत्र एवं फोटोग्राफ्स शासन को उपलब्ध कराया जाय।

3- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

4- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत "लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सडकें-337-सड़क निर्माण कार्य-15-कृषि विपणन सुविधाओं हेतु राजस्व ग्राम/बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गो से जोड़ने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गो का नवनिर्माण/पुनर्निर्माण/मिसिंग लिंक एवं अन्य ग्रामीण मार्गो के चालू कार्य हेतु एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त ।

भवदीय,

अभय कुमार
संयुक्त सचिव।

संख्या-172/2021/693(1)/23-14-2021-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम व द्वितीय, प्रयागराज।
3- मण्डलायुक्त, सम्बन्धित मण्डल।
4- जिलाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, सम्बन्धित जनपद के अनुसार।
5- मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय-1) लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6- मुख्य अभियन्ता, सम्बन्धित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
7- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग ।
8- वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडीटर प्लांनिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम सत्यनिष्ठ भवन, 15 नार्थहिल रोड, प्रयागराज।
9- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
10- लोक निर्माण अनुभाग-9/10
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/नियोजन अनुभाग-4
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अभय कुमार
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-172/2021/693 /23-14-2021-02त्व0आ0वि0यो0/2019

दिनांक- 23 जून, 2021 का संलग्नक

(रू0 लाख में)

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	योजना का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत लम्बाई	स्वीकृत लागत	31.03. 2021 तक आवंटन/ व्यय	01.04.21 को अवशेष	क्षेत्र से प्राप्त मांग	वित्तीय वर्ष 2021– 22 में आवंटित धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	नि0ख0 सीतापुर	mising link	परसदा से किन्हौटी तक मार्ग (नहर पटरी मार्ग का छूटी कड़ी)	0.50	27.52	18.00	9.52	9.52	**9.52**
2	नि0ख0 सीतापुर	mising link	खैराबाद मछरेहटा मार्ग से वर्मी मछरेहटा मार्ग (नहर पटरी मार्ग का अवशेष भाग)	0.80	34.43	22.53	11.90	11.90	**11.90**
3	नि0ख0 सीतापुर	Twarit	ठाकुरनगर से अरबापुर होते हुये रूद्रावर्त तक नव निर्माण।	3.50	159.91	145.99	13.92	13.92	**13.92**
			योग	**4.80**	**221.86**	**186.52**	**35.34**	**35.34**	**35.34**

अभय कुमार
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।